न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
011/2023(रसद) **(GCMS 2023/208)**	**07.08.2023**	**05.03.2024**

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये हनु इन्द्र सिंह राणावत, प्रवर्तन निरीक्षक गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. कन्हैयालाल काखानी निवासी गंगरार श्री सांवरिया होटल के पीछे का बाडा एसआर पेट्रोल पम्प के पास, एनएच–79 सोनियाणा गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. जगदीश पिता बिन्दुराम सरोया उम्र वयस्क निवासी पाण्डोरी काद जिला होशियारपुर (पंजाब) पावर ऑफ अटोर्नी होल्डर वाहन रजिस्टर्ड मालिक सुनिल भाई ठक्कर पिता अरविन्द भाई ठक्कर उम्र वयस्क निवासी प्लॉट नंबर 121, 122 औद्धव पार्क 3, मुन्द्रा रिलोकेशन साईड प्रमुखस्वामी नगर भुज सीटी, कच्छ (गुजरात) (**प्रार्थी प्रकरण संख्या 076/2023 (रे0वि0)**)
3. हरदेवराम पिता सुखाराम विश्नोई निवासी नेणों की ढाणी वाया पिपाड सिटी जिला जोधपुर हाल मुकाम सोनियाना प्रोपराईटर मॉ टीकारडी केमिकल्स (**प्रार्थी प्रकरण संख्या 004/2024 (रे0वि0)**)

विपक्षी

उपस्थिति :–		
	हितेश जोशी	प्रवर्तन अधिकारी
	बीएल पोखरना	अधिवक्ता विपक्षी
	बीएल पोखरना	अधिवक्ता (बिन्दुराम सरोया)
	बीएल पोखरना	अधिवक्ता (हरदेव राम विश्नोई)

आवेदन अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6–ए सपठित MS & HSD ऑर्डर 2005 में पुलिस थाना गंगरार में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 113/2023 दिनांक 19.04.2023 जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि आवेदक हनु इन्द्र सिंह राणावत, प्रवर्तन निरीक्षक गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ ने आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 19.04.2023 को जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ सुनील कुमार घोडेला के निर्देशानुसार प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक क्षेत्र गंगरार में पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध खरीद बिक्री छानबीन हेतु पंहुचा। मुखबीर द्वारा जानकारी लेने पर गंगरार टोल टैक्स के आगे सोनियाणा ओवर ब्रिज के पास एसआर पेट्रोल पम्प से सटी हुई श्री सांवरिया होटल के स्थित बाडा परिसर में पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध भण्डारण टैंकरों से चोरी किया जाता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त सूचना प्रार्थी द्वारा पुलिस थाना गंगरार को दी गई। प्रार्थी स्वयं के वाहन आरजे 06 सीडी 1564 द्वारा घटनास्थल पर पहुंचा। वहां पूर्व में वहां पर स.उ.नि. भैरूलाल जाट एवं कानि. धर्मपाल गुर्जर नंबर 508 मौके पर पहुंच चुके थे एवं मौके पर प्रार्थी एवं पुलिस जाप्ता देखकर उक्त परिसर में काम करने वाले कार्मिक भाग गये। प्रार्थी एवं जाप्ते व मौतबिरान की उपस्थिति में के परिसर की छानबीन करने पर परिसर का मालिक कन्हैया लाल काखानी निवासी गंगरार का होना बताया गया। मौके पर एक टैंकर जिसके नम्बर जी जे 16 जेड 9426 जिसकी क्षमता 24.445 एमटी थी टैंकर के उपर एक वॉल खुला हुआ पाया गया जिसमें एक पाईप लगा हुआ था जिस से नीचे रखे हुए ड्रम भरे जा रहे थे। उक्त में परिसर में कुल 101 ड्रम पाये गये। प्रत्येक ड्रम का निरीक्षण करने पर 18 प्लास्टिक ड्रम भरे हुए एवं 83 ड्रम खाली पाये गये मौके पर मोटर मय पाईप 1.5 एचपी एवं एक एचपी की मोटर पाई गई। भरे हुए प्लास्टिक के 18 ड्रम में 4230 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ होना पाया गया। परिसर में खड़े हुए टैंकर जी जे 16 जेड 9426 का गेज मापन करने पर इसमें से 705 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ चोरी करे अवैध रूप से निकाला गया। टैंकर रजिस्ट्रेशन संख्या जी जे 16 जेड 9426 दो मोटर, 18 प्लास्टिक के पेट्रोलियम पदार्थ से भरे ड्रम, 83 प्लास्टिक के खाली ड्रम सामग्री जब्त कर पुलिस थाना गंगरार की सुपुर्दगी में दिया गया। अधिग्रहित टैंकर जी जे 16 जेड 9426 से तीन नमूने लेकर जिसे ए–1, ए–2, ए–3 मार्क देकर भरे हुए प्लास्टिक के ड्रमों से तीन नमूने लेकर जिसे बी–1, बी–2, बी–3 मार्क देकर सील किया गया। नमूना ए–1, बी–1 वास्ते जांच एफएसएल परीक्षण हेतु पुलिस थाना गंगरार की सुपुर्दगी में दिया गया। फर्द नमूना तैयार कर संलग्न किया गया। मौके पर फर्म के प्रतिनिधि/संचालक द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट उल्लंघन हैं मौके पर सम्पूर्ण सीजर कार्यवाही की जाकर प्रार्थी हनुइन्द्र सिंह राणावत प्रवर्तन निरीक्षक गंगरार मय जप्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ मय वाहन टैंकर मौके से रवाना हो उपस्थित थाना आया तथा पुलिस थाना गंगरारमें प्राथमिकी दर्ज करवाई गई जिसके प्रकरण संख्या 113/2023 दिनांक 19.04.2023 है। रिपोर्ट मय आवश्यक दस्तावेज एवं जप्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ मय वाहन थानाधिकारी पुलिस थाना गंगरार की सिपुर्दगी में दिये गये। आवेदन अन्तर्गत धारा 6 अ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत बिना किसी देरी दस्तावेजात की छाया प्रतियां सहित मय शपथ–पत्र के पेश है। अंत में प्रार्थना की गई कि आवेदन पेश हैं जिसे स्वीकार किया जाकर पुलिस थाना गंगरार की प्राथमिकी संख्या 113/2023 दिनांक 19.04.2023 में जब्तशुदा टेंकर नंबर जी जे 16 जेड 9426 मय 4230 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ 18 प्लास्टिक के पेट्रोलियम पदार्थ से भरे ड्रम, 83 प्लास्टिक के खाली ड्रम मोटर मय पाईप 1.5 एचपी एवं एक एचपी की मोटर आदि पेट्रोलियम पदार्थ, एवं टेंकर नम्बर जी जे 16 जेड़ 9426 को राजसात करने की कृपा करावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना–पत्र जारी किये गये। दिनांक 12.12.2023 को विपक्षी की औैर से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर हैं। अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया कि जिस

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

परिसर में प्रवर्तन अधिकारी के द्वारा कार्यवाही की गई उसको हरदेवराम पिता सुखाराम विश्नोई निवासी नेनों की ढाणी तहसील पिपाडनगर जिला जोधपुर को किराये दिया हुआ है। जिसका किराया नामा पक्ष में दिनांक 15.10.2022 को निष्पादित है। तब से ही मेरे द्वारा उक्त परिसर का उपयोग नही किया जाकर किरायेदार हरदेवराम पिता सुखाराम जी जाति विश्नोई प्रोपराईटर मॉ टीकारडी का कब्जा हो उसकी द्वारा उपयोग किया जा रहा है। उक्त सम्पूर्ण माल से कोई संबंध नहीं है। अतः प्रार्थना है कि मेरे विरूद्ध की गई कार्यवाही को खारीज फरमाये जाने का आदेश फरमावें।

दिनांक 12.12.2023 को प्रार्थीगण हरदेवराम पिता सुखाराम विश्नोई निवासी नैणों की ढाणी वाया पिपाड सिटी जिला जोधपुर हाल मुकाम सोनियाना एवं जगदीश पिता बिन्दुराम सिरोया निवासी पाण्डोरी कांद जिला होशियारपुर पंजाब की और से अधिवक्ता बीएल पोखरना ने अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। प्रार्थीगण की और से प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने अवगत कराया गया कि धारा 6 ए सपठित एमएस एण्ड एचएसडी ऑर्डर 2005 मे अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में पुलिस थाना गंगरार मे दर्ज प्रथम सुचना रिपोर्ट 113/2023 दिनांक 19.04.2023 में जब्त सुदा सामग्री को राजसात किये किये जाने के संबंध में नोटिस कन्हैयालाल काखानी को दिया गया है। वह गलत है। क्योकि कन्हैयालाल के परिसर को किराये पर लिया हुआ है। जिसका किरायानामा पुलिस ने पेश किया हुआ है। जब्तसुदा 18 ड्रम एवं 83 खाली ड्रम, पदार्थ व टेंकर–1 मोटर मय पाईप, 1.5 एचपी एव 1 एच पी मथ मोटर का संबंध कन्हैयालाल का नहीं है। यह पदार्थ व ड्रम, मोटर, आदि मॉ टिकारडी केमिकल्स प्रो. हरदेवराम की हैं एवं टेंकर जी जे 16 जेड 9426 का भी संबंध भी कन्हैयालाल काखानी से नही होकर टेंकर के रजि. मालिक सुनिल भाई ठक्कर हैं जिन्होने जगदीश को पॉवर आफ एर्टोनी इस टेंकर को छुडवाने के लिए दी हुई है। जप्तसुदा एक टेंकर जिसके नम्बर जी जे 16 जेड 9426 जिसकी क्षमता 24.445 एमटी थी कुल 101 ड्रम, जिसमे से 18 प्लास्टिक के भरे ड्रम में जो पदार्थ है। वह पेट्रोलियम पदार्थ नही है एवं जो 83 ड्रम खाली पाये गये है वो भी पेट्रोलियम पदार्थ के भरने के लिए काम आए ड्रम नहीं है। और जो दो मोटरे व पाईप है वह भी पेट्रोलियम पदार्थ के लिए नहीं हैं यह माल पेट्रोलियम पदार्थ नही होकर नाईट्रीक एसिड, फास्फोरस, हाइड्रोजन प्रोक्साइड, सोलबिटोल नामक रासायनिक पदार्थ है जो पेट्रोलियम पदार्थ नहीं हैं उक्त केमिकल पदार्थ के बिल संलग्न है, जो हरदेवराम की फर्म मॉ टीकराडी के नाम से हैं। टैंकर नंबर जी जे 16 जेड 9426 मे जो पदार्थ भरा है वह भी पेट्रोलियम पदार्थ नहीं हैं जिसमे एफएसएल रिपोर्ट संलग्न हैं। जिसके भरा पदार्थ पेट्रोलियम पदार्थ नहीं है। टैंकर जी जे 16 जेड 9426 को पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर जगदीश को सिपुर्द किया जाना चाहिए जिसके लिए अलग से श्रीमान् के यहां धारा 457 जाप्ता फौजदारी का प्रार्थनापत्र पेण्डिग हैं यह टैंकर व उसमे भरा पेट्रोलियम पदार्थ नहीं होने से राजसात होने योग्य नहीं है। 18 ड्रमों मे भरा पदार्थ पेट्रोलियम पदार्थ नहीं है। खाली 83 ड्रम व दो मोटरे मय पाईप का संबंध भी पेट्रोलियम पदार्थ से नहीं है। और यह माल हरदेवराम प्रोपराईटर मॉ टीकारडी केमिकल्स के स्वामित्व का है, जो हरदेवराम को सिपुर्द किये जाने होकर व राजसात किये जाने योग्य

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नहीं है। इसके लिए हरदेवराम की ओर से अलग प्रार्थना–पत्र 457 जाप्ता फौजदारी पेश है। अंत में प्रार्थना की गई कि जवाब में आवेदन पेश है जिसे स्वीकार फरमाया जाकर पुलिस थाना गंगरार की प्राथमिकी संख्या 113/2023 मे जब्तशुदा टैंकर नंबर जी जे 16 जेड 9426 मय पदार्थ केमिकल एवं 18 प्लास्टिक के भरे ड्रम में भरे पदार्थ पेट्रोलियम पदार्थ नहीं होने से 83 प्लास्टिक के खाली ड्रम मोटर मय पाई 1.5 एचपी एवं एक एचपी की मोटर आदि एवं टैंकर नंबर जी जे 16 जेड 9426 को राजसात करने का धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का आवेदन खारिज फरमाया जाने का आदेश फरमावा जावें।

हस्तगत प्रकरण के संबंध में प्रार्थी जगदीश सरोया पिता बिन्दुराम सरोया निवासी पाण्डोरी काद जिला होशियारपुर पंजाब ने पुलिस थाना गंगरार में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 113/2023 दिनांक 19.04.2023 अपराध अन्तर्गत धारा 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं अन्तर्गत धारा 379, 411 भादसं 1860 में जब्त शुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **GJ 16 Z 9426** को सिपुर्द किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 जाफ्ता फौजदारी के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसके प्रकरण संख्या 076/2023(रे0वि0) दर्ज रजिस्टर होकर लम्बित है। इस प्रकार प्रार्थी हरदेवराम पिता सुखराम विश्नोई निवासी नैणों की ढाणी वाया पिपाड सिटी जिला जोधपुर हाल मुकाम सोनियाना प्रोपराईटर मॉ डिकारडी केमिकल्स की और से प्रकरण में जब्त शुदा माल (101 ड्रम) को सिपुर्द किये जाने बाबत् प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 451–457 जाफ्ता फौजदारी के तहत प्रस्तुत किया गया है। जिसके प्रकरण संख्या 004/2024(रे0वि0) होकर लम्बित है।

प्रकरण संख्या 076/2023(रे0वि0) के प्रार्थी बिन्दुराम सरोया उम्र वयस्क निवासी पाण्डोरी काद जिला होशियारपुर (पंजाब) पावर ऑफ अर्टोनी होल्डर वाहन रजिस्टर्ड मालिक सुनिल भाई ठक्कर पिता अरविन्द भाई ठक्कर उम्र वयस्क निवासी प्लॉट नंबर 121, 122 औद्धव पार्क 3, मुन्द्रा रिलोकेशन साईड प्रमुखस्वामी नगर भुज सीटी, कच्छ (गुजरात) ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 457 जा0फौ0 में अवगत कराया है कि प्रार्थी का एक वाहन टेंकर टाटा 3518 जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर **GJ 16 Z 9426** मॉडल 2016 इंजन नम्बर **S33082461B84282233** चेसीस नम्बर **MAT466422GHB02383** को पुलिस थाना गंगरार ने जप्त कर रखा है। जो वाहन सुनिल भाई ठक्कर पिता अरविन्द भाई ठक्कर उम्र वयस्क निवासी प्लॉट नंबर 121, 122 औद्धव पार्क 3, मुन्द्रा रिलोकेशन साईड प्रमुखस्वामी नगर भुज सीटी, कच्छ (गुजरात) के नाम पर पंजीकृत है। उक्त रजिस्टर्ड मालिक ने प्रार्थी जगदीश सरोया को उक्त वाहन को अपनी सुपुर्दगी में लेने आदि कार्यवाही हेतु अपना पावर ऑफ अटोर्नी होल्डर नियुक्त कर रखा है, जो पावर ऑफ अटोर्नी प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न है। इस कारण उक्त प्रार्थी जगदीश सरोया उक्त वाहन को अपनी सुपुर्दगी में लेने का अधिकार रखता है। उक्त वाहन को प्रवर्तन निरीक्षक, रसद विभाग गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 व 379, 411 भादसं के तहत जप्त कर पुलिस थाना गंगरार को सुपुर्द कर रखा हैं। उक्त वाहन की अब पुलिस थाना गंगरार को उक्त प्रकरण में आवश्यकता नहीं है। उक्त वाहन टेंकर खुले व धुप में पड़ा होने से रंग–रोगन व कल–पूर्जे खराब होने का अंदेशा है। उक्त वाहन के रंगीन फोटो खिचवा कर अनुसंधान

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली में सम्मिलित किये जा सकते है जिससे उक्त वाहन के पहचान की न्यायालय में पूर्ति हो जावेगी और उक्त वाहन को न्यायालय जब भी तलब फरमाएंगे तब प्रार्थी अपने स्वयं के खर्चे से उक्त वाहन टेंकर को न्यायालय में पेश करेगा। प्रार्थी उक्त वाहन की जमानत हेतु जमानतनामा व सिपूर्दगीनामा पेश करने हेतु तैयार है। अंत में प्रार्थना की गई कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को उक्त वाहन हेतु जमानतनामा व सिपूर्दगीनामा पर सिपूर्द करने का आदेश प्रदान करावें।

इसी प्रकार प्रकरण संख्या 004/2024(रे0वि0) के प्रार्थी हरदेवराम पिता सुखाराम विश्नोई निवासी नेणों की ढाणी वाया पिपाड सिटी जिला जोधपुर हाल मुकाम सोनियाना प्रोपराईटर मां टीकारडी केमिकल्स ने अपने प्रार्थना–पत्र में अवगत कराया है कि कुल 101 ड्रम जिसमें से 18 प्लास्टिक के भरे ड्रम जिसमें नाईट्रीक एंसिड, फास्फोरस, हाईड्रोजन प्रोक्साइड, सोलबिटोल पदार्थ है जो पेट्रोलियम पदार्थ नही हैं एवं खाली 83 ड्रम, मोटर मय पाईप, 1.5 एचपी एवं 1 एचपी मय मोटर पुलिस द्वारा जब्त किये गये। उक्त केमिकल पदार्थ के बिल संलग्न हैं और सभी ड्रम मुझ हरदेवराम के हैं जो हरदेवराम की फर्म मॉ टीकारडी के हैं। जप्तशुदा माल एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ नहीं है, अतः 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध नहीं बनता है। क्योंकि वह केमिकल आवश्यक वस्तु अधिनियम में परिभाषित आवश्यक वस्तु की श्रेणी में नहीं आता है। उक्त सामग्री को प्रवर्तन निरीक्षक रसद विभाग गंगरार के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 व 379, 411 भादसं के तहत जप्त कर पुलिस थाना गंगरार को सुपुर्द कर रखा है, जो गलत है। उक्त समस्त ड्रम, मोटर, एवं रासायनिक पदार्थ की अब पुलिस को उक्त प्रकरण में आवश्यकता नहीं है तथा प्रार्थी उक्त समस्त ड्रम, मोटर, एवं रासायनिक पदार्थ को मालिक होकर अपनी तहवील में लेने का वैधानिक अधिकारी हैं। उक्त समस्त ड्रम, मोटर, एवं रासायनिक पदार्थ के खुले व धुप में पड़े होने कारण खराब होने का अंदेशा है। उक्त समस्त ड्रम, मोटर, एवं रासायनिक पदार्थ के रंगीन फोटो खिंचवा कर अनुसंधान की पत्रावली में सम्मिलित किये जा सकते है। जिससे उक्त सामान के पहचान की न्यायालय में पूर्ति हो जावेगी। प्रार्थी के उक्त समस्त ड्रम, मोटर, एवं रासायनिक पदार्थ को न्यायालय जब भी तलब फरमाएंगे तब प्रार्थी अपने स्वयं के खर्चे से उक्त समस्त ड्रम, मोटर, एवं रासायनिक पदार्थ को न्यायालय में पेश करेगा। प्रार्थी उक्त समस्त ड्रम, मोटर, एवं रासायनिक पदार्थ की जमानत हेतु जमानतनामा व सिपूर्दगीनामा पेश करने हेतु तैयार है। अंत में प्रार्थना की गड्ढ कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को उक्त समस्त ड्रम, मोटर, एवं रासायनिक पदार्थ हेतु जमानतनामा व सिपूर्दगीनामा पर सिपूर्द करने का आदेश प्रदान करावें।

न्यायालय हाजा के विचाराधीन प्रकरण संख्या 004/2024(रे0वि0) में थानाधिकारी पुलिस थाना गंगरार द्वारा पत्रांक/269 दिनांक 29.01.2024 से तथ्यात्मक रिपोर्ट मय अनुसंधान पत्रावली के प्रेषित की गई जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। हस्तगत तीनों प्रकरणों में पुलिस थाना गंगरार में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 113/2023 दिनांक 19.04.2023 में जप्तशुदा माल के निस्तारण का प्रश्न निहित है, ऐसी स्थिति उक्त तीनों प्रकरणों में एक साथ सुनवाई की जाकर निर्णय पारित किया जाना उचित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रतीत होता है। अतः तीनों प्रकरणों में एक साथ सुनवाई की जाकर उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया।

सर्वप्रथम हाजिर पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस पत्रावली में आवेदन प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि विपक्षी द्वारा अवैध रूप से बाहरी राज्यों से पेट्रोलियम पदार्थ यहां लाकर अन्य टैंकरों में निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन एवं भण्डारण करने के साथ ही अवैध तरीके से विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ मय वाहन एवं अन्य सामग्री को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

इस पर विद्वान अधिवक्ता बीएल पोखरना द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र एवं प्रार्थना–पत्रों अन्तर्गत धारा 457 जा0फौ0 में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि पुलिस थाना गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ मे दर्ज प्रथम सुचना रिपोर्ट 113/2023 दिनांक 19.04.2023 में जब्त सुदा सामग्री को राजसात किये किये जाने के संबंध में नोटिस कन्हैयालाल काखानी को दिया गया है। वह गलत है, क्योंकि कन्हैयालाल के परिसर को किराये पर लिया हुआ है। जिसका किरायानामा पुलिस ने पेश किया हुआ है। जब्तसुदा 18 ड्रम एवं 83 खाली ड्रम, पदार्थ व टेंकर–1 मोटर मय पाईप, 1.5 एचपी एव 1 एच पी मथ मोटर का संबंध कन्हैयालाल का नहीं है। यह पदार्थ व ड्रम, मोटर, आदि मॉ टिकारडी केमिकल्स प्रो. हरदेवराम की हैं एवं टेंकर जी जे 16 जेड 9426 का भी संबंध भी कन्हैयालाल काखानी से नही होकर टेंकर के रजि. मालिक सुनिल भाई ठक्कर हैं जिन्होने जगदीश को पॉवर आफ एर्टोनी इस टेंकर को छुडवाने के लिए दी हुई हैं। जप्तसुदा एक टेंकर जिसके नम्बर जी जे 16 जेड 9426 जिसकी क्षमता 24.445 एमटी थी कुल 101 ड्रम, जिसमे से 18 प्लास्टिक के भरे ड्रम में जो पदार्थ है। वह पेट्रोलियम पदार्थ नही है एवं जो 83 ड्रम खाली पाये गये है वो भी पेट्रोलियम पदार्थ के भरने के लिए काम आए ड्रम नहीं है। और जो दो मोटरे व पाईप है वह भी पेट्रोलियम पदार्थ के लिए नहीं हैं यह माल पेट्रोलियम पदार्थ नही होकर नाईट्रीक एसिड, फास्फोरस, हाइड्रोजन प्रोक्साइड, सोलबिटोल नामक रासायनिक पदार्थ है जो पेट्रोलियम पदार्थ नहीं हैं उक्त केमिकल पदार्थ के बिल संलग्न है, जो हरदेवराम की फर्म मॉ टीकराडी के नाम से हैं। टैंकर नंबर जी जे 16 जेड 9426 मे जो पदार्थ भरा है वह भी पेट्रोलियम पदार्थ नहीं हैं जिसमे एफएसएल रिपोर्ट संलग्न हैं। जिसके भरा पदार्थ पेट्रोलियम पदार्थ नहीं है। टैंकर जी जे 16 जेड 9426 को पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर जगदीश को सिपुर्द किया जाना चाहिए जिसके लिए अलग से श्रीमान् के यहां धारा 457 जाप्ता फौजदारी का प्रार्थनापत्र पेण्डिग हैं यह टैंकर व उसमे भरा पेट्रोलियम पदार्थ नहीं होने से राजसात होने योग्य नहीं है। 18 ड्रमों मे भरा पदार्थ पेट्रोलियम पदार्थ नहीं है। खाली 83 ड्रम व दो मोटरे मय पाईप का संबंध भी पेट्रोलियम पदार्थ से नहीं है। और यह माल हरदेवराम प्रोपराईटर मॉ टीकारडी केमिकल्स के स्वामित्व का है, जो हरदेवराम को सिपुर्द किये जाने होकर व राजसात किये जाने योग्य नहीं है। इसके लिए हरदेवराम की ओर से अलग प्रार्थना–पत्र 457 जाप्ता फौजदारी पेश है। अंत में प्रार्थना की गई कि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जवाब में आवेदन पेश है जिसे स्वीकार फरमाया जाकर पुलिस थाना गंगरार की प्राथमिकी संख्या 113/2023 मे जब्तशुदा टैंकर नंबर जी जे 16 जेड 9426 मय पदार्थ केमिकल एवं 18 प्लास्टिक के भरे ड्रम में भरे पदार्थ पेट्रोलियम पदार्थ नहीं होने से 83 प्लास्टिक के खाली ड्रम मोटर मय पाई 1.5 एचपी एवं एक एचपी की मोटर आदि एवं टैंकर नंबर जी जे 16 जेड 9426 को राजसात करने का धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का आवेदन खारिज फरमाया जाने का आदेश फरमावा जावें।

विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण ने पुलिस थाना गंगरार की अनुसंधान पत्रावली पर उपलब्ध विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर की रिपोर्ट **RFSL(UDA)/2953/CAE/37/23** दिनांक 27.09.2023 का अवलोकन कराया एवं बताया की विधि विज्ञान प्रयोगशाला को प्रेषित नमूना ए-1 व बी-1 में किसी भी प्रकार से कोई पेट्रोलियम पदार्थ नहीं होकर **Glycerol** है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नहीं आते है। अतः उक्त दिनांक 19.04.2023 को प्रकरण में जप्तशुदा माल के प्रार्थी हरदेव पिता सुखराम नैन बिश्नोई उम्र 47 वर्ष निवासी नैणों की ढाणी चिरढाणी तहसील पिपाड शहर जिला जोधपुर हाल मुकाम सोनियाणा पुलिस थाना गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) प्रोपराईटर मैसर्स मां टीकारडी केमिकल्स को सिपुर्द किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें, एवं जब्तशुदा टैंकर जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर **GJ 16 Z 9426** मॉडल 2016 इंजन नम्बर **S33082461B84282233** चेसीस नम्बर **MAT466422GHB02383** प्रार्थी बिन्दुराम सरोया उम्र वयस्क निवासी पाण्डोरी काद जिला होशियारपुर (पंजाब) पावर ऑफ अर्टोनी होल्डर वाहन रजिस्टर्ड मालिक सुनिल भाई ठक्कर पिता अरविन्द भाई ठक्कर उम्र वयस्क निवासी प्लॉट नंबर 121, 122 औद्धव पार्क 3, मुन्द्रा रिलोकेशन साईड प्रमुखस्वामी नगर भुज सीटी, कच्छ (गुजरात) को सिपुर्द किये जाने का आदेश दिलवाया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में हाजिर पैरोकार द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार जब्तशुदा पदार्थ **Glycerol** है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नहीं आता है, अतः प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने की ईश्तदुआ की गई।

हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर चिंतन-मनन किया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत बिलो की छायाप्रतियों का अवलोकन किया। ई-वे बिलों की छाया प्रतियों का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी पैरोकार सरकार इस तथ्य को पूर्णतया से साबित कराये जाने में असफल रहे है कि पुलिस थानाधिकारी गंगरार द्वारा दिनांक 19.04.2023 को जप्तशुदा उक्त 101 ड्रम में जो पदार्थ है वह आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी में आता है जबकि विपक्षी द्वारा इस तथ्य को निर्विवाद रूप से साबित कराया गया है कि प्रकरण में दिनांक 19.04.2023 को जप्तशुदा 101 ड्रमों के किसी भी प्रकार से कोई पेट्रोलियम पदार्थ नहीं होना पाया गया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी का नहीं है। हमने पत्रावली पर उपलब्ध थानाधिकारी पुलिस थाना गंगरार की अनुसंधान पत्रावली का गहनता पूर्वक परिशीलन किया। थानाधिकारी पुलिस थाना गंगरार द्वारा अवगत कराया गया है कि **''प्रकरण में अभियुक्त हरदेव राम विश्नोई द्वारा 18 ड्रम प्लास्टिक के पेट्रोलियम पदार्थ भरे हुए**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मिले। उक्त पेट्रोलियम पदार्थ किससे चोरी कर माल खरीदा, किसे बेचना इस संबंध में गहनता से अनुसंधान करना शेष है तथा प्रकरण में अभियुक्त हरदेव राम से अनुसंधान किया जाना शेष है। जिसकी अनुसंधान हेतु तलाश की गई जो नहीं मिला व ना ही अनुसंधान में सहयोग हेतु उपस्थित हुआ है।'' हमने प्रकरण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 113/2023 दिनांक 19.04.2023 का गहनता पूर्वक अध्ययन किया। पुलिस थाना गंगरार में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 3 व 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं अन्तर्गत धारा 379, 411 भादसं 1860 के तहत दर्ज की गई है एवं थानाधिकारी पुलिस थाना गंगरार से प्रेषित रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में वर्ततान में अनुसंधान शेष है। इसके साथ ही थानाधिकारी पुलिस थाना गंगरार की अनुसंधान पत्रावली पर उपलब्ध विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर से न्यायालय के सक्षम यह तथ्य प्रमाणित पाया गया है कि कार्यवाही दिनांक 19.04.2023 को थानाधिकारी पुलिस थाना गंगरार में जब्तशुदा तरल पदार्थ पेट्रोलियम पदार्थ नहीं होकर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं आता है। **इस तथ्य को स्वयं हाजिर पैरोकार सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है।** हस्तगत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 379, 411 भादसं 1860 के अन्तर्गत भी हैं एवं वर्तमान स्थिति में प्रकरण में अनुसंधान होना शेष है। हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा तरल पदार्थ आवश्यक वस्तु अधिनिमय, 1955 के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित श्रेणी का नहीं होना पाया गया तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 113/2023 दिनांक 19.04.2023 में दर्ज अन्य धारा 379, 411 भादसं 1860 के संबंध में थानाधिकारी गंगरार द्वारा रिपोर्ट के माध्यम से इस तथ्य को उठाया की प्रकरण में अनुसंधान शेष है। भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 379 एवं 411 के तहत दर्ज प्रकरणों की सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त नहीं हैं, ऐसी स्थिति में प्रकरण में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण के संबंध में इस न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को क्षेत्राधिकारिता के अभाव में खारीज किया जाता है, तथा न्यायालय हाजा में लम्बित प्रकरण संख्या 076/2023 (रे0वि0) एवं 004/2024 (रे0वि0) क्षेत्राधिकारिता के अभाव में खारीज किये जाते हैं। अनुसंधान पत्रावली थानाधिकारी पुलिस थाना गंगरार को लौटाई जावें। निर्णय की मूल प्रति प्रकरण संख्या 011/2023(रसद) में रखा जावे तथा प्रमाणित प्रतिलिपी प्रकरण संख्या 076/2023 (रे0वि0) एवं 004/2024 (रे0वि0) में रखी जावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं थानाधिकारी पुलिस थाना को भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **05.03.2024** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official